1-7-19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 17:7:19..को पेश हो।

17/7/19 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते बहस
आगामी पेशी दिनांक 5:8:19
को पेश हो

5-8-19 वकील प्रार्थी उपस्थित राज पेशीकार उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया। T. D. R हनुमानगढ़ को पालना हेतु लिखा जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official
Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आरएएस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 171/2019

1. जगदीश पुत्र श्री कालूराम जाति जाट निवासी चक 14 एस.एम.एच. तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट जरिये तहसीलदार, (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़। – – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अभिभाषगण

1. श्री लालचन्द शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2. राज पैराकार अप्रार्थी

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 05.08.2019

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता भू. राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 4 एच.एम.एच. तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 51/36 के पत्थर नम्बर 139/274 (2) किला नमबर 25, पत्थर नम्बर 140/274 (3) किलान म्बर 21/.202, 22/.152, 23/.101, पत्थर नम्बर 140/275 (6) किला नम्बर 1 ता 5, 8 ता 13, पत्थर नम्बर 139/275 (7) किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 पत्थर नम्बर 139/276 (10) किला नमबर 3 ता 8 की 6.274 हैक्टर भूमि है।

प्रार्थी की उक्त भूमि हनुमानगढ़ टाऊन से सादुलपुर को जाने वाली रेलवे लाईन के नजदीक स्थित है। प्रार्थी की उक्त भूमि के नजदीक रेलवे अण्डर पास व आमजन हेतु रास्ता की आवश्यकता थी, इसलिए प्रार्थी ने अपनी उक्त कृषि भूमि में अण्डर पास व जनसाधारण के आवागमन हेतु रास्ता के प्रयोजन हेतु पत्थर नम्बर 140/274 (3) के किला नंम्बर 22 में 0.090, पत्थर नम्बर 140/275 (6) किला नम्बर 1 में 0.088, 2 में 0.153, 3 में 0.063, 4/0.06, 5/0.063 व पत्थर नम्बर 139/275 (7) किला नम्बर 5 में 0.025 कुल 0.545 हैक्टर समर्पित की तथा रारता के प्रयोजन हेतु ही समर्पण किये जाने की सहमति दी।

प्रार्थी की उक्त सहमति के अनुसरण में अप्रार्थी ने प्रार्थी की कुल 5.274 हैक्टर भूमि में से उक्त वर्णित रास्ता के प्रयोजन हेतु समर्पित की गई 0.545 हैक्टर को कम करते हुए 5.729 हैक्टर भूमि इन्तकाल संख्या 567 दिनांक 18.09.2015 दर्ज की लेकिन इस इन्तकाल में प्रार्थी द्वारा रास्ता के प्रयोजन हेतु समर्पित की गई भूमि को आराजी राज सिवाय चक दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी ने यह भूमि रेलवे अण्डर पास के लिये गैरमुमकिन सड़क/गैरमुमकिन रास्ता के प्रयोजन हेतु समर्पित की थी तथा इस कारण सहमति पत्र के आधार पर यह भूमि राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन सड़क/गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज की जानी चाहिये थी, लेकिन त्रुटिपूर्वक यह 0.545 हैक्टर भूमि आराजीराज सिवाय चक दर्ज हुई है। श्रीमान् जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा भी इस प्रकृति के प्रकरणों में इण्डियन रोड़ कांग्रेस के प्रावधानों अनुसार किसी आवेदक द्वारा राज्यहित में सड़क अथवा गैरमुमकिन रास्ता के प्रयोजन हेतु समर्पित भूमि को आराजीराज के स्थान पर गैरमुमकिन सड़क/गैरमुमकिन रास्ता ही दर्ज करने के निर्देश दिये गये है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

लगातार 2

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

प्रार्थी की उक्त भूमि हनुमानगढ़ टाउन शहर के नजदीक है तथा प्रार्थी अपनी भूमि में आवासीय कॉलोनी को निर्मोजित करना चाहता है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि में उक्तानुसार 0.545 हैक्टर भूमि सड़क/गैरमुमकिन रास्ता के प्रयोजन हेतु 0.545 हैक्टर भूमि समर्पित की है लेकिन यह भूमि राजस्व अभिलेख में आराजीराज सिवाय चक दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थी को अपनी अन्य भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करने की विधिक कार्यवाही में विधिक बाधा पैदा हो रही है। विधि अनुसार प्रार्थी द्वारा सड़क/गैरमुमकिन रास्ता के प्रयोजन हेतु समर्पित की गई भूमि राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन सड़क/गैरमुमकिन रास्ता ही दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन अप्रार्थी ने यह भूमि राजस्व अभिलेख में आराजीराज सिवाय चक दर्ज की है जो प्रविष्टि दुरुस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व अभिलेख मे हुई त्रुटि को दुरुस्त करने का क्षेत्राधिकार भू-अभिलेख अधिकारी को है तथा यह शक्तियां माननीय न्यायालय को प्रदत्त है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो 2/- रुपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 14 एच.एम.एच. खाता संख्या 51/36 तादादी 6.274 हैक्टर में से प्रार्थी द्वारा रेलवे अण्डरपास व जनहित में रास्ता के प्रयोजन हेतु समर्पित की गई कृषि भूमि पत्थर नम्बर 140/274 (3) के किला नम्बर 22 में 0.090, पत्थर नम्बर 140/275 (6) किला नम्बर 1 में 0.088, 2 में 0.153, 3 में 0.063, 4/0.063, 5/0.063 व पत्थर नम्बर 139/275 (7) किला नम्बर 5 में 0.025 कुल 0.545 हैक्टर की प्रविष्टि राजस्व अभिलेख में "आराजीराज सिवाय चक" के स्थान पर "गैरमुमकिन सड़क/गैरमुमकिन रास्ता" अंकित किये जाने का आदेश फरमाते हुए अप्रार्थी को इस त्रुटि को दुरुस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार हनुमानगढ़) से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा अवगत करवाया गया कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी मौका पर इस भूमि के पत्थर नम्बर 140/274 (3) किला नम्बर 22/.090 हैक्टर में रेल्वे अण्डर ब्रिज बनाकर नीचे पक्की सडक बनी हुई है। पत्थर नम्बर 140/275 (6) किला नम्बर 2/.090, 3/063, 4/.063, 5/063,में पक्की सडक मय पटड़ा मौका पर बनी हुई हैं। पत्थर नमबर 140/275 (6) किला नम्बर 1/.088, 2/.063, पत्थर नम्बर 139/275 (7) किला नम्बर 5/.025 हैक्टर रकवा में रास्ता चालू है। नजरी नक्शा व जमाबन्दी संलग्न दें !

उपरोक्त रकवा रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है को मौका पर चालू सड़क व रास्ता होने के कारण गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने की अनुशंपा की जाती है।

प्रकरण में उभपक्ष की बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा ने अपनी खातेदारी कृषि कृषि भूमि में अण्डर पास व जनसाधारण के आवागमन हेतु रास्ता के प्रयोजन हेतु पत्थर नम्बर 140/274 (3) के किला नम्बर 22 में 0.090, पत्थर नम्बर 140/275 (6) किला नम्बर 1 में 0.088, 2 में 0.153, 3 में 0.063, 4/0.06, 5/0.063 व पत्थर नम्बर 139/275 (7) किला नम्बर 5 में 0.025 कुल 0.545 हैक्टर समर्पित की तथा रास्ता के प्रयोजन हेतु ही समर्पण किये जाने की सहमति दी। इस सम्बंध में समर्पण नामा के साथ रास्ता बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। अतः प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु राज्य हित में निःशुलक समर्पित की गई है, तथा समर्पित भूमि पर मौके पर भी सड़क बन चुकि है, को रास्ता स्वीकृत किया जावे।

तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा अपनें रिपोर्ट को दोहराते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में किसी प्रकार का कोई विरोध प्रकट नहीं किया।

तहसीलदार एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

लगातार 3

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से आमजन की सुविधा हेतु रास्ते के प्रयोजन हेतु अपनी खातेदारी भूमि राज्य पक्ष में निःशुल्क समपित की गई थी इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

– :: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से आमजन की सुविधा हेतु रास्ते के प्रयोजन हेतु अपनी खातेदारी भूमि राज्य पक्ष में निःशुल्क समपित की गई थी जो सहवन से राजस्व अभिलेख में आराजी राज दर्ज हो गई है, को भू. राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्त करते हुए चक 14 एच.एम.एच. के पत्थर नम्बर 140/274 (3) के किला नंम्बर 22 में 0.090, पत्थर नम्बर 140/275 (6) किला नम्बर 1 में 0.088, 2 में 0.153, 3 में 0.063, 4/0.06, 5/0.063 व पत्थर नम्बर 139/275 (7) किला नम्बर 5 में 0.025 कुल 0.545 हैक्टर भूमि को "आराजीराज सिवाय चक" के स्थान पर "गैरमुमकिन सड़क/गैरमुमकिन रास्ता" घोषित किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 05.08.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 11:16:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: